NR/774

<u>फैक्स/ई–मेल</u>

<u>आवश्यक/महत्वपूर्ण</u>

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

<u>षष्टम–तल, द्वितीय–टॉवर, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।</u>

संख्या–डीजी–सात–एस–(विविध)/2017 दिनांकः जून 26 ,2023

सेवा में,

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   <u>उत्तर प्रदेश।</u>

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
   प्रभारी जनपद/रेलवेज,
   <u>उत्तर प्रदेश।</u>

कृपया महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उ0प्र0 के पत्र संख्या–9फ/मा0स्वा0/2022–23 दिनांक 13.06.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम 2017 का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने विषयक है।

2. अतः उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नकों सहित संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम 2017 का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

25.6.23

(प्रशान्त कुमार)
विशेष पुलिस महानिदेशक,
कानून एवं व्यवस्था/अपराध,
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि–</u>

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या–9फ/मा0स्वा0/2022–23 दिनांक 13.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा।
2. निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी एवं बरेली।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांक :– 9फ/मा0स्वा0/2022–23/ लखनऊ/दिनांक– 13/06/2023

विषय :– मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का अक्षरशः अनुपालन किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप अवगत ही है कि प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 लागू हो चुका है, जिसके कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु शासन ने शासनादेश सं0– 1027/पांच–7–2018, दिनांक–17/09/2018 द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षकगणों को निर्देशित किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)** उक्त के क्रम में कृपया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के निम्नलिखित प्राविधानों पर आपका ध्यान आकर्षित करना है:–

1. धारा– 20 के अनुसार प्रत्येक मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार है एवं क्रूर, अमानवीय और निम्न श्रेणी के उपचार से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। धारा–20(झ) के अनुसार **मानसिक रूग्ण व्यक्तियों का मुंडन अनिवार्य नही होगा।**
2. धारा–21 मानसिक रूग्ण व्यक्तियों को समानता और भेदभाव न करने का अधिकार प्रदान करता है एवं धारा–21(ग) के अनुसार मानसिक रूग्णता के लिए व्यक्ति शारीरिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को यथा उपबंधित समान रीति, विस्तार और क्वालिटी में **एंबुलेंस सेवा के उपयोग के हकदार होंगे।**
3. धारा–24(1) के अनुसार किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उपचार के दौरान किसी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति से संबंधित **कोई फोटो या कोई अन्य जानकारी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की** सम्मति के बिना मीडिया को नही दी जाएगी।
4. धारा–95 के अनुसार अधिनियम में (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी निम्नलिखित उपचारों का मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति पर उपयोग नही किया जा सकेगा–

(क)– मांसपेशी शिथिल किए बिना और संज्ञाहरण (Anaesthesia)के बिना **वैद्युत संक्षोभजनक चिकित्सा** (Electro-convulsive therapy);

(ख)–अवयस्कों की वैद्युत–संक्षोभजनक चिकित्सा (Electro-convulsive therapy);

(ग)– पुरूषों या महिलाओं का बंध्यीकरण, जब ऐसा बंध्यीकरण मानसिक रूग्णता के उपचार के लिए आशयित हो;

(घ)– **किसी भी रीति या रूप, चाहे जो भी हो, जंजीर में बांधना।**

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि अवयस्क के उपचार के प्रभारी मनोविकार विज्ञानी के मत में वैद्युत–संक्षोभजनक चिकित्सा (Electro-convulsive therapy) की अपेक्षा है तो ऐसा उपचार संरक्षक और संबंधित बोर्ड की पूर्व संसूचित सहमति से किया जा सकेगा।

पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)
मु0 पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 की समस्त धाराओं को संज्ञान में लेते हुये सर्वसंबंधित को अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करने एवं मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के अधिकारों का सरंक्षण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(रिनू श्रीवास्तव वर्मा)
महानिदेशक

पृष्ठांकन सं0–9फ/मा0स्वा0/2022–23/380-386 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुपालन हेतु सर्वसंबधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

(सी0पी0कश्यप)
निदेशक(स्वास्थ्य)

संख्या–1027/पांच–7–2018

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य चिकित्सोधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2018

विषयः उ0प्र0 में मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, **(The Mental Healthcare Act)** 2017 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति से लागू किया गया है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अत्यंत गम्भीर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई–दिल्ली द्वारा मानसिक रोगियों तथा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रकरणों की निगरानी की जा रही है। विषय की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये समस्त राज्य सरकारों से मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–2017 को अक्षरशः लागू कराने की अपेक्षा की गयी है। अतः उपरोक्त अपेक्षा के क्रम में मानसिक रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है :–

(1) गंभीर मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख सेवाओं जैसे बाहरी रोगी (ओ0पी0डी0) और आंतरिक रोगियों (आई.पी.डी.) की व्यवस्था करना, जिससे रोगी की स्वास्थ्य देख–रेख के सभी स्तरों यथा–प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके जिससे मानसिक रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु लंबी दूरी की यात्रा न करनी पड़े।

2– अधिनियम के अध्याय–6 में राज्य सरकार से संबंधित कार्यो का विस्तृत उल्लेख है, जिसमें प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्तर से निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन किया जाना है :–

(1) प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि मानसिक रोगियों का समुचित उपचार सुनिश्चित करायें एवं काउंसलिंग की सेवाएं उपलब्ध करायें जैसे–जिला काउंसलिंग सेन्टर /मन–कक्ष की स्थापना।

(2) मानसिक रोगियों हेतु भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराना।

(3) मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 अध्याय–5 एवं अध्याय–6 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला चिकित्सालय स्तर पर मानसिक रोग विधा की औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना।

(4) लोक स्वास्थ्य स्थापना में मानसिक दिव्यांग बच्चों, मानसिक रोगियों एवं व्यक्तियों हेतु निम्नलिखित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए :–

अ) साइक्लोजिकल टूल्स
ब) ईसीटी मशीन (सेरेब्रल स्टीमूलेशन सुविधा के साथ)
म) बायो–फीड बैक मशीन
स) ब्यॉल्स ट्रोली
द) सक्शन मशीन
प) आक्सीजन सिलेन्डर
फ) इमरजेन्सी ट्रे
म) एएमबीयू बैग
य) स्फिग्नोमैनोमीटर (बीपी इस्टूमेन्ट)
र) वैंइंग मशीन

लोक स्वास्थ्य स्थापन में उपरोक्त अतिआवश्यक वस्तु/सामग्रियों/मशीनों की उपलब्धता करना/करवाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जनपद चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।

3– जनजागरूकता हेतु समुचित आई0ई0सी0 कार्यक्रमों का समय–समय पर संचालन कराना, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश समय–समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मानसिक स्वास्थ्य उपचार से सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों को मानोरोग विधा में प्रशिक्षित किये जाने हेतु मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का सहयोग लिया जा सकता है।

5– अधिनियमानुसार मानसिक दिव्यांगों/मानसिक रोगियों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकें इस आशय से अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विवरण के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 में मानसिक रोगियों की देख–रेख किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या– /पांच–7–2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक(स्वास्थ्य), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(असीम कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(4) लोक स्वास्थ्य स्थापना में मानसिक दिव्यांग बच्चों, मानसिक रोगियों एवं व्यक्तियों हेतु निम्नलिखित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए :–

अ) साइक्लोजिकल टूल्स
ब) ईसीटी मशीन (सेरेब्रल स्टीमूलेशन सुविधा के साथ)
म) बायो–फीड बैक मशीन
स) ब्यॉल्स ट्रोली
द) सक्शन मशीन
प) आक्सीजन सिलेन्डर
फ) इमरजेन्सी ट्रे
म) एएमबीयू बैग
य) स्फिग्नोमैनोमीटर (बीपी इस्ट्रूमेन्ट)
र) वैंइंग मशीन

लोक स्वास्थ्य स्थापन में उपरोक्त अतिआवश्यक वस्तु/सामग्रियों/मशीनों की उपलब्धता करना/करवाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जनपद चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।

3– जनजागरूकता हेतु समुचित आई0ई0सी0 कार्यक्रमों का समय–समय पर संचालन कराना, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश समय–समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मानसिक स्वास्थ्य उपचार से सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों को मानोरोग विधा में प्रशिक्षित किये जाने हेतु मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का सहयोग लिया जा सकता है।

5– अधिनियमानुसार मानसिक दिव्यांगों/मानसिक रोगियों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकें इस आशय से अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विवरण के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 में मानसिक रोगियों की देख–रेख किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या– 1027(1)/पांच–7–2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक(स्वास्थ्य), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(असीम कुमार सिंह)
अनु सचिव।